प्रेस नोट थाना साइबर क्राइम

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 02.07.2025

"साइबर क्राइम नियन्त्रण के लिये गठित एस0आई0टी0 टीम द्वारा डिजीटल अरेस्ट कर फिनटैक साइबर ठगी करने वाले 07 अभियुक्तगणो को किया गिरफ्तार"

श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक बरेली, जोन बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली, परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशन में, श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा साइबर क्राइम संबंधित घटनाओं को गम्भीरता से लिया जा रहा है जिसके क्रम में श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे एसआईटी टीम का गठन किया गया था जिसमे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी क्राइम , क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी साइबर क्राइम थाना के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम , एस.ओ.जी. टीम व सर्विलांस टीम ने उक्त डिजीटल अरेस्ट कर साइबर ठगी की घटना में संलिप्त अपराधियों की विशेष निगरानी एवं साइबर क्राइम से ठगे गये लोगों को उनकी धनराशि वापस कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कडे दिशा निर्देश दिये गये।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06/05/2025 से 15/05/2025 तक वादी श्री शरदचन्द्र को डिजीटल अरेस्ट कर साइबर ठगो द्वारा उनके दो अकाउण्टो से कुल धनराशि रु 01 करोड़ 04 लाख 47 हजार 130 की ठगी की गयी। उक्त घटना के संबंध में श्री शरदचन्द्र द्वारा दिनांक 04/06/2025 को साइबर क्राइम थाना पर मु0अ0सं0 11/2025 धारा 318(4), 319(2), 204 BNS व 66(C), 66(D) IT ACT अभियोग पंजीकृत कराया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:- (MODUS OPERANDI)

साइबर ठगो द्वारा डिजीटल अरेस्ट तथा फिनटेक फ्रॉड की दो टीमे लगाकर साइबर ठगी की गयी है।

डिजीटल अरेस्टः-

डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि **साइबर ठगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक धोखाधड़ी की तकनीक** है। इसमें अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी या एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर व्यक्ति को डराते हैं कि वह किसी अपराध में फंस गया है और उसे **"डिजिटल रूप से गिरफ्तार"** किया जा रहा है।

डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है:

- वीडियो कॉल या फोन पर खुद को पुलिस, CBI या कोर्ट का अधिकारी बताकर डराना
- फर्जी दस्तावेज़, लोगो और पहचान पत्र दिखाकर विश्वास दिलाना
- मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगाकर धमकाना
- पीड़ित को घर में ही "डिजिटल कस्टडी" में रखने की बात कहना
- बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवाना या लोन लेने को मजबूर करना

फिनटैक साइबर फ्रॉड:-

फिनटैक साइबर फ्रॉड एक आधुनिक डिजिटल धोखाधड़ी है जिसमें ठग वित्तीय तकनीक (Fintech) प्लेटफॉर्म्स जैसे मोबाइल वॉलेट, UPI ऐप्स, डिजिटल लोन सेवाओं आदि का दुरुपयोग करते हैं

फिनटेक धोखाधड़ी के प्रमुख प्रकार:

- **फिशिंग (Phishing):**नकली वेबसाइट, ईमेल या SMS के माध्यम से उपयोगकर्ता से उसकी संवेदनशील जानकारी जैसे OTP, पासवर्ड, UPI पिन आदि प्राप्त करना।
- **UPI फ्रॉड:** फर्जी QR कोड स्कैन करवाकर या कॉल के माध्यम से PIN डलवाकर खाते से पैसे निकालना।
- **लोन ऐप फ्रॉड:**अवैध या फर्जी लोन ऐप इंस्टॉल करवाकर उपयोगकर्ता से व्यक्तिगत जानकारी लेना, फिर उसे ब्लैकमेल करना या मोबाइल डेटा (गैलरी, कॉन्टैक्ट्स आदि) का दुरुपयोग करना।
- **साइबर ठगी कॉल्स: खुद को बैंक अधिकारी, KYC एजेंट या सरकारी अधिकारी बताकर कॉल करना और डराकर बैंकिंग जानकारी हासिल करना। (मुकदमा उपरोक्त मे प्रयोग किया गया)**
- **मालवेयर अटैक:**किसी संदिग्ध लिंक या ऐप पर क्लिक करने से मोबाइल में वायरस आ जाता है, जो फिनटेक ऐप्स की जानकारी चुराकर वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है।

उपरोक्त प्रकरण मे डिजीटल अरेस्ट तथा फिनटैक साइबर फ्रॉड का प्रयोग कर वित्तीय ठगी की गयी है। फिनटैक साइबर फ्रॉड की टीम कमीशन पर किसी भी व्यक्ति का कोर्पोरेट करेंट अकाउण्ट विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफाम के माध्यम से चिन्हित करती है और फिर डिजीटल अरेस्ट किये हुये व्यक्ति का पैसा फेस टू फेस बैठा कर उस अकाउण्ट मे डालती है। कोर्पोरेट अकाउण्ट से Cash Management System द्वारा विभिन्न लाभार्थी अकाउण्ट एड कर पैसे को आगे ट्रांसफर किया जाता है। भिन्न भिन्न खातों में रुपये ट्रासंफर करा कर अंत में Saving Accounts से क्रिप्टो करंसी मे सम्पूर्ण धनराशि को किसी क्रिप्टो वालेट (जैसे Binance) में भेज दिया जाता है ।

अभियुक्तगणों द्वारा वादी मुकदमा से सबसे पहले व्हाट्सैप पर काल कर वादी को गुमराह करते हुए बताया कि आपके खाते से 02 करोड़ 80 लाख का गैर कानूनी ट्रांजेक्सन हुआ है, जिसकी पूछताछ करने व्हाट्सअप पर विभिन्न एजेन्सियों (मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स डिपार्टमेंन्ट, ईडी, सीबीआई व कथित न्यायालय के जज) के अधिकारी का पद धारण कर वादी को व्हाटसअप वीडियो कॉल पर डिजीटल अरेस्ट कर लिया गया । जिसके बाद ठगो द्वारा जमानत व सारे लगाये गये आरोपों से बरी करने के नाम पर 04 खातों में कुल धनराशि रु 01 करोड़ 04 लाख 47 हजार 130 रुपये की ठगी कर ट्रांसफर करा ली गयी । उक्त धनराशि को फिनटेक फ्रॉड टीम द्वारा 09 Layers मे 40 बैंक अकाउण्टो मे ट्रांसफर किये गया । उक्त धनराशि मे से 71 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हैदराबाद के कार्पोरेट अकाउण्ट मे किया गया था जिसमे उसी दिन लगभग 03 करोड रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ था। पूछताछ मे उक्त कोर्पोरेट अकाउण्ट होल्डर द्वारा हैदराबाद मे इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर उसके अकाउण्ट को Mule Account के तौर पर दुर्पयोग करने के सम्बन्ध मे साइबर थाने मे कम्पलेन्ट रजिस्टर दिनांक 27.05.25 को कराई गयी थी । **उनके साथ तथा अभियोग मे फिनटेक साइबर फ्रॉड की टीम के 07 सदस्यो को गिरफ्तार किया गया है। इस टीम द्वारा किये जा रहे एक अन्य फिनटेक फ्रॉड से सम्बन्धित जाँच मे Yes Bank के संदिग्ध खाते मे 09 करोड रुपये का ट्रांजेक्शन पर भी जाँच की जा रही है।**

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण :-

- **सचिन अहिरवार पुत्र स्व0 मुकेश अहिरवार** निवासी रेलवे कालोनी RB 1-793D रानी लक्ष्मी नगर रेलवें कालोनी शिपरी बाजार झांसी उ0प्र0, उम्र -22 वर्ष

- **प्रशान्त कटारा पुत्र बैजनाथ कटारा** निवासी जगनेर रोड दुर्गेश पुरम नई आबादी धनौली थाना मलपुरा जनपद आगरा उम्र 20 वर्ष
- **गौतम सिंह उर्फ लखन ठाकुर पुत्र डाल सिंह** निवासी K 1st -18D 260 संगम विहार थाना संगम विहार नई दिल्ली उम्र 25 वर्ष
- **सन्दीप कुमार पुंडीर पुत्र दिनेश सिंह** निवासी मकान नं0 418 गली नं0 3 मुरारी नगर कस्वा व थाना खुर्जा जनपद बुलंदशहर हाल पता ग्राम सुजावलपुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस उम्र 32 वर्ष
- **सैय्यद सैफ उर्फ सोनू पुत्र सैयद मिनहाज** निवासी भारत कालोनी चादर गोदाम थाना खेडी पुल जनपद फरीदावाद हरियाणा उम्र 27 वर्ष
- **आर्यन शर्मा उर्फ यश उर्फ शाका पुत्र श्यामवीर शर्मा** निवासी श्रीराम कालोनी डासना थाना मसूरी जनपद गाजियावाद उम्र 22 वर्ष
- **पवन कुमार यादव पुत्र शिवाजी यादव** निवासी ग्राम कनौरा सुनौनिया खास जनपद टीकमगढ म0प्र0 उम्र 28 वर्ष व कुछ अन्य वांछित अभियुक्तगण जिनकी गिरफ्तारी शेष है।

बरामदगी का विवरण:-

09 अदद मोबाइल फोन,
07 एटीएम कार्ड
01 पासबुक।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1- प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार शुक्ला साइबर क्राइम थाना शाह0
2- एस.ओ.जी प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार मय टीम
3- सर्विलांस प्रभारी उ0नि0 मनोज कुमार मय टीम
4- उ0नि0 रिंकू कुमार साइबर क्राइम थाना शाह0
5- का0 पुष्पेन्द्र कुमार साइबर क्राइम थाना शाह0
6- का0 अखिलेश कुमार साइबर क्राइम थाना शाह0

जागरुक रहे-सजक रहे, साइबर अपराध से सुरक्षित रहे।

साइबर अपराध होने पर तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नं0 1930 पर काल कर अपनी शिकायत दर्ज कराये।